झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लिमिटेड

(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)
प्रथम तल, कल्याण कॉम्प्लेक्स, बलिहार रोड, मोराबादी, रॉची–834008 दूरभाषः(0651)2552398 ईमेल–tcdc.jharkhand@gmail.com

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अन्तर्गत
पिछड़ा वर्ग (BC) के बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए सावधि ऋण योजना

झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से झारखण्ड राज्य के **पिछड़ा वर्ग (BC)** के बेरोजगार युवक/युवतियों को सावधि ऋण पर आधारित निम्नॉकित योजनाओं को लेने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। **किसी भी कार्यदिवस पर आवेदन संबंधित कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।**

योजना का नाम :– सूक्ष्म ऋण योजना, लघु व्यवसाय ऋण योजना, व्यवसायिक वाहन ऋण योजना, महिला समृद्धि योजना, व्यवसाय हेतु ऋण योजना।

नोट : इस संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन की शर्तें झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लिमिटेड, रॉची के प्रधान कार्यालय/शाखा कार्यालय/वेबसाईट www.jstcdc.org.in अथवा संबंधित जिलों के जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय से कार्यावधि में प्राप्त की जा सकती है।

आवेदन प्राप्त एवं जमा करने हेतु आवेदक अपने जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय/ संबंधित निगम के शाखा कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं :–

क्र.स	जिला का नाम	निगम का प्रमण्डलीय शाखा कार्यालय	दूरभाष
1	रॉची/खूँटी/सिमडेगा/लोहरदगा/ गुमला	रॉची शाखा– बलिहार रोड, मोराबादी, रॉची	8084622679
2	हजारीबाग/रामगढ़/चतरा/कोडरमा /धनबाद/ बोकारो/ गिरिडीह	हजारीबाग शाखा–बहुउद्देशीय भवन, नियर ट्रेकर बस स्टैंड, हजारीबाग।	7004600628
3	लातेहार/पलामू/गढ़वा	डालटेनगंज शाखा–गुलाबझरी भवन, बाईपास रोड, डालटेनगंज।	9031825488
4	पूर्वी सिंहभूम/पश्चिमी सिंहभूम/ सरायकेला– खरसावां	चाईबासा शाखा– यूरोपियन क्वाटर, वार्ड नं.–9, चाईबासा	9934134105
5	जामताड़ा/देवघर/दुमका/गोड्डा/ साहेबगंज/ पाकुड़	दुमका शाखा– कचहरी हाता, कॉपरेटिव बैंक के सामने, दुमका।	9905187885

पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ सक्षम पदाधिकारी से निम्नॉकित प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

1) आवेदक का नवीनतम 2(दो) पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ। (2) झारखण्ड राज्य से ऑनलाईन(online) निर्गत i) जाति प्रमाण पत्र, ii) आय प्रमाण पत्र एवं iii) आवासीय प्रमाण पत्र। (3) उम्र संबंधी प्रमाण–पत्र – विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्रधान द्वारा निर्गत या सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। (4) आधार कार्ड एवं बैंक खाता नम्बर(पासबुक के प्रथम पृष्ठ) की छायाप्रति। (5) तकनीकी योग्यता, यदि योजना के लिए आवश्यक हो। (6) संचालित की जाने वाली योजना से संबंधित योजना प्रस्ताव की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। (7) वाहन ऋण के आवेदकों के लिए– i) पूर्व का बना हुआ व्यवसायिक ड्राईविंग लाइसेन्स की छायाप्रति ii) वाहन का कोटेशन।

प्रबन्ध निदेशक,
झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, रॉची।

पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए शर्त्ते

1. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
2. आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो एवं इससे संबंधित ऑनलाईन निर्गत प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
3. झारखण्ड राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र (ऑनलाईन निर्गत)।
4. झारखण्ड राज्य से निर्गत आय प्रमाण पत्र (ऑनलाईन निर्गत)– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 5,00,000/–रू० से अधिक न हो।
5. आवेदक सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में न हों। इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक किसी प्रकार कोई सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान से ऋण अनुदान का लाभ पूर्व में नहीं लिया हो और किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं का डिफॉल्टर न हो। इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
7. आवेदक को आधार कार्ड की छायाप्रति/आयु संबंधी प्रमाण–पत्र/बैंक खाता नम्बर(पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. रू० 50,001/– से अधिक के ऋण हेतु योजना प्रस्ताव देना होगा। योजना प्रस्ताव में आवेदक को यह जानकारी भी साझा करना अनिवार्य होगा कि उनके व्यवसाय(वाहन ऋण छोड़कर) में प्रति 1.50 लाख रूपये के निवेश में कितना रोजगार सृजित हो रहा है। किसी भी प्रकार के नशा यथा शराब, हड़िया, ताड़ी आदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवसाय यथा 20 माइक्रोन से कम पोलिथीन बैग/कैरी बैग/पैकेजिंग मटेरियल आदि से संबंधित व्यवसाय के प्रस्ताव इस योजना अंतर्गत आच्छादित नहीं किये जायेंगे।
9. 50,001/– रू० से अधिक की परियोजना इकाई के कुल लागत का 10% राशि आवेदक को मार्जिन मनी के रूप में वहन करना होगा।
10. योजना प्रस्ताव से संबंधित यदि कोई प्रशिक्षण लिया हो, तो उसका प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
11. वाहन ऋण के आवेदकों के लिए आवेदक का पूर्व का बना हुआ व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा ऋण में लिए गए वाहन का व्यवसायिक निबंधन(Commercial Registration) करवाना अनिवार्य होगा।
12. आवेदक को ऋण के विरूद्ध दी जाने वाली गारन्टी ऋण की राशि के अनुरूप देना होगा।
13. स्वयं सहायता समूहों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित National Rural Livelihood Mission (NRLM) अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों एवं RBI द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्वयं सहायता समूहों को आय सम्वर्द्धन हेतु ऋण की राशि मुहैया करायी जाएगी।

गारन्टर

1. 50,000/–रू० तक के ऋण के लिए चयनित लाभुक स्वयं गारन्टरदाता होंगे।
2. 50,001–25,00,000/–रू० तक के ऋण के लिए एक गारन्टर देना अनिवार्य होगा। गारन्टर के रूप में सरकारी/अर्द्धसरकारी क्षेत्र/बैंक/सरकार के अधीन बीमा कम्पनी कर्मी हो तथा जिनकी सेवा कम–से–कम 5 वर्ष बची हुई गारन्टर हो सकते हैं अथवा एक गारन्टर, जो सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जो आयकर दाता हो एवं इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करता हो, गारन्टर हो सकता है।

ऋण अनुदान का प्रावधान – ऋण अनुदान 40% की दर से या अधिकतम रू० 5,00,000/– दोनों में से जो कम राशि हो, लाभुकों को भुगतेय होगा। ऋण अनुदान उस वक्त लाभुकों को देय होगी जब उनके द्वारा लिए गए ऋण का मूलधन तथा ब्याज की राशि ऋण अनुदान की राशि के समतुल्य शेष हो। ऋण अनुदान की राशि प्रत्यक्ष रूप से लाभुक को भुगतेय नहीं होगी, परन्तु इसका लाभ लाभुक द्वारा लिए गये ऋण एवं ऋण वापसी की प्रक्रिया में जब ऋण का मूलधन तथा ब्याज की राशि (Equated Monthly Installment) ऋण अनुदान की राशि के समतुल्य शेष होगी, उस स्थिति में बचे हुए शेष ऋण का समायोजन ऋण अनुदान की राशि से किया जायगा। ऋण अनुदान 40% की दर से या अधिकतम रू० 5,00,000/– दोनों में से जो कम हो, का लाभ लाभुकों को तभी देय होगा जब लाभुकों द्वारा नियमित रूप से EMI का भुगतान संबंधित निगम को किया जायगा। तीन लगातार माह का EMI लाभुक द्वारा भुगतान नहीं करने की स्थिति में उक्त लाभुक को Default List में रखते हुए ऋण अनुदान की राशि के लाभ से वंचित रखा जायगा।

***